

The Uttaranchal Commission For Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001

Act 11 of 2001

Keyword(s): Commission, Classes

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

गंजीकृत संख्या-डी०एन०/आर०ओ०--१८१/2001

(ताइसेन्स टू पॉस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1. खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 नवम्बर, 2001 ई0

अग्रहायण 07, 1923 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 11/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 देहरादून, 28 जवम्बर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001, दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संo 11, सन् 2001 के रूप में अर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11, सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में प्राख्यायित राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बच्धित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम :--

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

- (1) यह अधिनियम उत्तरायल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा संवित्त गम. विस्तार वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।
 - (2) इराका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
 - (3) यह अधिस्वित होने की दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

्रिमाषार्थ	2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो :
	(क) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तरांचल अनुसूचित जाति,
	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से है।
	(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।
	(ग) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।
	(म) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है।
	(छ) राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तरायल का राज्य सरकार त हो (ङ) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी
	(७) तपत्त्व का तारपंव आवाग के तपत्त्व ते हे जार इत्तन आवाग के जव्यदा मा सम्मिलित हैं।
	(च) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य मारत के संविधान
	भें निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से है।
	(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त ऐसे
	(७) जन्म निर्देश पन की तालन जुरूपूर्वत जातात जुरूपूर्वत जातातात के जातात्वत रत पिछड़े वर्गों से है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सूची में निर्दिष्ट किया गया हो।
	अध्याय—दो
	उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडा वर्ग आयोग का गठन
আযৌग কা যটন ,	 राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी, जिसे उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित
	जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम
	के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।
आयोग की संरघना	 (1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य हॉगे
	(क) अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से होगा;
	(ख) एक सदस्य अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से होगा; और
	(ग) एक अन्य सदस्य पिछड़ा वर्ग में से होगा।
	(2) अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियो
	में से की जायेगी जिन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य
	पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।
	(3) उपघारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेंगी।
अध्यदा श्रीर रादरयों की पदावधि और सेवा की रातें	5. (1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए
	पदं धारण करेगा।
	(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबंधित अपने हस्ताहर सहित लेख
	द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
	(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति :
	(क) अननुमोचित दिवालिया हो जाय:
	(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें,राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता
	अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;
	(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय
	(घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;
	(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर
	तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे ; या
	(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार
	दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित
	जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हित या
	लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय,
	परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस खण्ड के अधीन, हटाया नहीं जागेगा जब
	तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

- (4) उपघारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। 🔪 (5) सदस्यों को देय वेतन और मत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें। (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी ^{आयोग के अधिकारी} और जन्य कर्षचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हों। (2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें। 7. 'सदस्यों को देय वेतन और मत्ते का और घारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य बेतन और मतों क कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक व्ययों किया जायेगा का भुगतान धारा 13 की उपघारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा। आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रटि होने के आधार पर आयोग का कोई रिक्तियं आदे अवोग कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी। नहीं करेंगी (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अघ्यक्ष मलिया का आयोग हारा विनियमित किया जाना उचित समझे। (2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा। (3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का वरिष्ठतम सदस्य जैसां राज्य सरकार निर्देशित करे द्वारा तब तक निर्वहन किया जायेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद घारण नहीं करता है या, यथास्थिति विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्मालता है। (4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या पद निभित्त सचिव द्वारा
 - सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायें गे ।
- 10. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य सरकार का आयोग से परामर्ग प्रमावित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य और शक्तियां

11. (1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

6

9.

- (क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित समी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना ।
- (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तूत करना।
- (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपार्यों के प्रमावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के

आयोग के कर्ताव्य और कृत्य

की कार्यवाही अधिषिमान्य

उत्तरांचल असाधारण गजट, 28 नवम्बर, 2001 ई0 (अग्रहायण 07, 1923 शक सम्वल्)

संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करन ।

- (च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा ंर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य रे त का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना.
- (छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किसी भेदमाव को रोकने के लिए नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रमावी ढंग से कार्यान्वित करागा।
- (ज) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक शैक्षिणिक एवं आर्थिक विकास के लिए संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब-प्लान को कार्यान्वित कराना।
- (झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, निरीक्षण एवं संबंधितों को दिशा-निर्देश देना।
- (य) राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण को सुनिश्चित करना एवं सम्बन्धितों को निर्देश जारी करना।
- (त) कोई अन्य मामला या मामले जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय अथवा आयोग के संज्ञान में लाया जाय।
- (थ) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोध का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किए जाने की शिकायत सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे।
- (द) कोई अन्य मामला या मामले जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय अथवा आयोग के संज्ञान में लाया जाय।
- (2) राज्य सरकार, राज्य विधान समा के समक्ष आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अश्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवागेगी।

आयोग को राक्तियाँ

With the second s

Market settertheter and the set of the set

12. किसी बात का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की घारा 11 की उपघारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, प्राप्त होगी, अर्थात :

- (क) किसी व्यक्ति को बुताने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने:
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने;
- (ग) शक्थ~यत्र पर साध्य प्राप्त करने;
- (घ) किसी कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने;
- (उ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने; और
- (च) किसी अन्य विषय में जो विहित्त किया जाय।

अध्याय-चार

वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

13. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान समा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोजन राज्य सरकार हारा किये जाने के पश्चात, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान अनुदान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे खर्च कर सकता है और ऐसी घनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायेगा।

- 14. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक तेबा और तेख-वार्षिक विवरण ऐसे प्रपन्न में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।
 - (2) लेखों के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा-परीक्षण करवायेगी।
- 15. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, ऐसे प्रपन्न में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया बार्धक श्लार जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलामों का पूरा लेखा दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- 16. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन अर्थक रिगेट और के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने का कारण यदि कोई हो, और तखा-पराक्षा गण्यद लेखा परीक्षा रिपोर्ट यथावश्यक शीघ जैसे ही वे प्राप्त हो राज्य विधान समा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पांच

ं प्रकीर्ण

- 17. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की आयोग के अध्यक्ष, धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।
- 18. जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से भासित बाध्य होते हुये जानबूझकर ऐसा नहीं करता है सिद्धदोष होने पर यथास्थिति, मारतीय दण्ड संहिता, 1860 की घारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।
- कोई न्यायालय, अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अपल्यों का सभाव 19. अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय घारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संझान नहीं लेगा।
- 20 किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबच्चों के अनुसरण में सद्मावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अमियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही त्रहीं की जा सकेगी।
- 21. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

सदमावपूर्वक की गई कार्यवाही पर संरक्षण

नियम बनाने की शकित

सदस्य और कर्मचारी सोक सेवक होंगे

तेखा-परीक्षा रिपोर्ट समस जार्य गी

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रमाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :

(क) घारा 5 की उपघास (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपघारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें,

- (ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय;
- (ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपघारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;
- (ध) प्रपत्र जिसमें और समय जब घारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;
- (उ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाग।

कठिनाइयों को दूर करने की रागित

- 22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबच्चों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबच्च, जो इस अधिनियम के उपबच्चों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कंठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
 - (2) उपघारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
 - (3) उपघारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विद्यान समा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड विद्येयक, 1904 की धारा 23-क की उपघारा (1) के उपबच्च उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल राज्य अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।
- 23. (1) उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपघारा (1) में निर्दिष्ट अघ्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध कमी सारवान समय पर प्रयुत्त थे।

आज्ञा से, आर0 पी0 पाण्डेय, सचिव।

No. 11/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001 Dated Dehradun, November 28, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Utaranchal Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on November 28, 2001.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES, SCHED-

ULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

ACT, 2001

(UTTARANCHAL ACT NO. 11 OF 2001)

IT IS HEREBY enacted in the Fifty Second Year of the Republic of India.

To constitute Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Commission in Uttaranchal and to provide for matters connected therewith or incidental therein :

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनचादि एवं अन्य पिछड्ड। वर्ग आयोग बच्चादेश, 2001 का निरसन

Laster construction where

CHAPTER - 1

PRELIMINARY .

- 1. (1) This Act may be called the Utlaranchal Commission for the Scheduled Short ble, Extent and Commence-Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001. ment
 - It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force on the date of publication.

- In this Act unless a contrary intention appears from the context :
 - (a) "Commission" means the Commission constituted under section 3 of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Commission,
 - (b) "The Governor" means the Governor of Uttaranchal.
 - (c) "The State" means Uttaranchal State,
 - (d) "The State Government" means the State Government of Uttaranchal.
 - (e) "The Member" means the member of the Commission in which the Chairman is also included.
 - "The Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" means the Scheduled (f) Castes and Scheduled Tribes as notified in the Constitution of India.
 - (g) "Other Backward Classes" means the Backward Classes other than Scheduled Caste and Scheduled Tribes as may be specified by the State Govt. in the list,

CHAPTER -- II

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

- 3. The State Government shall constitute a Commission to be known as the Constitution of the Ultaranchal Commission for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Commission Other Backward Classes and shall exercise such powers and perform such functions as are assigned to it under this Act.
- 4. (1) The Commission shall consist of the following members appointed by the Composition of the Commission State Government :
 - (a) A Chairman, from amongst persons belonging to the Scheduled Castes;
 - (b) One member shall be from persons belonging to the Scheduled Tribes; and
 - (c) One other member from persons belonging to Other Backward Classes.
 - (2) The Chairman and Members shall be appointed from amongst persons. of ability integrity and standing who have had a record of selfless service to the cause of justice for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
 - (3) The appointments under sub-section (1) shall be made by a notified order.
- 5. (1) Every member shall hold office for a term of Three Years from the date he Term of office assumes office.
 - (2) A member may, at any time by writing under his hand addressed to the State Government, resign from his office.
 - (3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person:
 - (a) becomes an undischarged insolvent;

n

ď

- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court,
- (d) refused to act or becomes incapable of acting;
- (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from Three consecutive meeting of the Commission: or

has, in the opinion of the State Government so abused the position (f) – of Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

and conditions of services of Members

Definitions

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given an opportunity of being heard in the matter.

- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.
- (5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of, the Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other 6. employees of the Commission

Salaries and 7. allowances to be paid out of grant

Vacancles etc. 8 not to Invalidate proceedings of the Commission

Procedure to be regulated by Commission

- The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.
- (2) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

The salaries and allowances payable to the Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 6 shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 13.

No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

- 9. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.
 - (2) The Commission shall regulate its own procedure.
 - (3) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until he or the New Chairman assumes office, may be as the case be discharged by the Senior Member as directed by the State Government.
 - (4) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

to consull Commission

State Government 10. The State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

CHAPTER -- III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

Duties and functions of the Commission

CONTRACTOR OF STREET, S

ショー・アン ないる いたいてい ステレン さんざ

- 11. (1) It shall be the duty of the Commission : (a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under the constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of
 - such safeguards. (b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
 - (c) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and to evaluate the progress of their development.
 - (d) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards.

- (e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare, and socio-economic development of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (f) to discharge such other functions in relation to the protection welfare, development and advancement of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as may be referred to it by the State Government.
- (g) to enforce effectively the provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1995 and Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
- (h) to enforce effectively implementations of various educational and Socioeconomic development schemes under Special Component Plan and Tribal Sub-plan for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- to monitor, evaluate and inspect the various programmes for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and to issue necessary direction to the concerned.

(j) to enforce the reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Government departments and Public sector undertaking and issues necessary directions to the concerned.

- (k) the Commission shall examine request for inclusion of any class of citizens as Backward classes and hear complaints of wrong inclusion of any class in the Backward class and tender such advice to the State Govt. as it deems appropriate.
- (I) any other matter that may be referred to by the State Government or brought into notice of the Commission.
- (2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before the State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non acceptance, if any, of any of such recommendations.
- 12. The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or Powers of the inquiring into any complaint referred to in clause (b) of sub-section (1) of section Commission have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:
 - (a) summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
 - (e) issuing commissions for the examination of wilnesses and documents; and
 - (f) any other matter that may be prescribed.

CHAPTER - IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

13.(1) The State Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by the way of grants such sums of money as the State Govt. may think fit for being utilized for the purposed of this Act.

Grants by the State Govt.

	(2) The Commission out of the grant referred to in sub-section (1) may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such seems shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).
Accounts and Audits	 14. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant record and prepare an annual statement of accounts in such form as may be pres cribed. (2) A copy of the annual statement of accounts shall be forwarded to the Statement of accoun
	Government which shall cause it to be audited.
Аллиаl report	15. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financia year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activitie during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.
Annual report and Audit report to be laid before the State Legisla- ture	15. The State Government shall cause the annual report together with a memoran- dum of action taken on the advice tendered by the Commission and the reason for the non acceptance, if any, of such advice, and the audit report to be laid, a soon as may be, after they are received, before the State Legislature.
	CHAPTER V
	MISCELLANEOUS
Chairman, Members and Employee of Commission to be public servant	 The Chairman, Members and Employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860.
Penalty	 Whoever being legally bound to obey any order of the Commission under section 12, intentionally omits to do so, shall on conviction be punished under section 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of Indian Penal Code, 1860, as the case may be
Cognizance of offences	19. No court shall take cognizance of an offence specified in section 18 except on complaint in writing of the Chairman or a Member or of an officer authorized by the Commission in this behalf.
Protection of action taken in good faith	20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made hereunder.
Power to make rules	 21. (1) The State Government may, be notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters namely : (a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Members under sub-section (5) of section 5 and the officers and other employees under sub-section (3) of section 6; (b) any other matter under clause (f) of section 12; (c) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 14; (d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 15; (e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

.

-

,

.

,

.

Į

उत्तरांचल असाधारण गजट, 28 नवम्बर, 2001 ई० (अग्रहायण 07, 1923 शक सम्वत्)

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Power to remove Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent difficulties with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or

expedient for removing the difficulty.

- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of a period of two year from the date of commencement of this Act.
- (3) Every order made under sub-section (1) shall as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Ultar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttaranchal Act.
- 23. (1) The Uttaranchal Commission for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Repeal of and other Backward Classes Ordinance 2001 is hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the schedule d provisions of the ordinance referred to in sub section (1) shall be deemed to Castes, Scheduled Tribes and uled Tribes and

Repeal of Utlaranchal Commission for S c h e d u l e d Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Ordinance, 2001.

By Order,

R. P. PANDEY, Sachiv.

पी0एस0यू० (आर0ई०) 46 विधायी / 838-2001-500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।